



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 1996/फाल्गुन 21, 1917

No. 60] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 1996/PHALGUNA 21, 1917

कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1996

संख्या 12011/96/94-बी.सी.सी.—भारत सरकार ने कामिक लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय (कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन संख्या-36012/22/93-स्थापना (एस.सी.टी.), दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के पक्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में 27 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया है। इस कार्यालय जापन में यह भी निरिष्ट है कि प्रथम चरण में पिछड़े वर्गों के लिये उपयुक्त आरक्षण के उद्देश्य से वे जातियाँ/समुदाय शामिल होंगे, जो मण्डल आयोग की रिपोर्ट तथा अन्य राज्य सरकारों की अन्य पिछड़े वर्गों की दोनों सूचियों में समान हैं।

2. चौदह राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूचियों की उपर्युक्त कार्यालय जापन के लिये क्रियान्वयन के संदर्भ में कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी.सी.सी. (सी.) दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची के रूप में अधिसूचित की गई थी तथा भारत के राजपत्र-असाधारण भाग-1, खण्ड-1, संख्या-186, नई दिल्ली, सोमवार, 13 सितम्बर, 1993/22 भाद्र, 1915 में प्रकाशित की गई थी।

3. इसके बाद 4 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् उड़ीसा, राजस्थान, शिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा पांडिचेरी से संबंधित अन्य वर्गों की समान सूचियाँ भी उपरोक्त कार्यालय जापन के क्रियान्वयन के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिये कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/9/94-बी.सी.सी., दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 के द्वारा अधिसूचित कर दी गई थी और भारत के राजपत्र-असाधारण भाग-1, खण्ड-1, संख्या-163, नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 20 अक्तूबर, 1994/आश्विन 28, 1916 में प्रकाशित की गई थी।

4. इसके बाद, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूचियाँ भी उपरोक्त कार्यालय जापन के क्रियान्वयन के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिये कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/7/95-बी.सी.सी., दिनांक 24 मई, 1995 के द्वारा अधिसूचित कर दी गई थी और भारत के राजपत्र-असाधारण भाग-1, खण्ड-1, संख्या-88, नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 25 मई, 1995/ज्येष्ठ 4, 1917 में प्रकाशित की गई थी।

5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को सूची में शामिल किये जाने संबंधी अनुरोध तथा प्राधिक संख्या एवं कम संख्या में शामिल किये जाने संबंधी शिकायतों की जांच करके सिफारिश करने के लिये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सामान्यतः केन्द्र सरकार के लिये बाध्यकारी होंगी।

6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने निम्नलिखित राज्यों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जोड़ने/शामिल करने/संशोधन करने के लिये कुछ जातियों/समुदायों/उप जाति/समानार्थी जाति के नामों की अनुशंसा की है :-

- (1) आंध्र प्रदेश
- (2) केरल
- (3) मध्य प्रदेश
- (4) महाराष्ट्र
- (5) उड़ीसा
- (6) तमिलनाडु
- (7) त्रिपुरा
- (8) उत्तर प्रदेश
- (9) पश्चिम बंगाल

7. केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उपरोक्त 9 राज्यों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में इन जोड़ने/संशोधनों के परिशिष्ट को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। ये जोड़ना/शामिल करना/संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

एम.एस. अहमद, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

निम्नलिखित राज्यों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जोड़ना/शामिल करना/संशोधन करना :-

1. आंध्र प्रदेश
2. केरल
3. मध्य प्रदेश
4. महाराष्ट्र
5. उड़ीसा
6. तमिलनाडु
7. त्रिपुरा
8. उत्तर प्रदेश
9. पश्चिम बंगाल

राज्य आंध्र प्रदेश : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप जातियों/समानार्थी) के नाम।

क्र.सं. पुरानी प्रविष्टि	नवीन प्रविष्टि
1. 6. दासारी (जिन्हें पहले अपराधों और भिक्षावृत्ति की लत थी)	6. दासारी (जो पहले भिक्षाटन में लगे थे।)
2. 15. नायी-ब्राह्मण	15. नायी-ब्राह्मण (भंगली)
3. 26. कियथा कालिंग	26. कियला कालिंग "बुरगना कालिंग", बुरगाम कालिंग" और पंडिरी कालिंग"
4. 17. पिचीगुनतला	17. पिचीगुनतला के लिये वामशा राज पट्टे
5. 82. नेल्ली	82. "नीली (नेल्ली)"
6. 74. कलवधुला गणिका	74. सुर्य बालिजा (कलवधुला), गणिका

टिप्पणी :- शामिल किये जाने के लिये अभिप्रेत मंडलों को

पहचान को केवल बनाने के लिये और उसके द्वारा इस जाति के वास्तविक सदस्यों को जाति-प्रमाण पत्रों के इन्कार करने की संभावना को रोकने और धर्मों के द्वारा गलत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सम्भावनाओं को रोकने के लिये नाम को कोष्ठकों में रखा गया है। जांच पड़ताल के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को प्रमाण पत्र में केवल "सुर्य बालिजा" का उल्लेख करना चाहिये और उसके बाद कोई कोष्ठकों वाली प्रविष्टि नहीं करनी चाहिये।")

राज्य : केरल : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप जातियों/समानार्थी) के नाम।

क्र.सं. पुरानी प्रविष्टि	नवीन प्रविष्टि
1. 13. धीवर (अराया, अरायावर्धी, कुक्कुवन या मुकाया, मोगावीरा)	12. धीवर (अराया, अरायावर्धी, मुक्कुवन या मुकाया, मोगावीरा, वालन, बीवी मुकायर, मुलायन, वालिन-जियार, और पनिग्रकल)
2. शून्य-	36क. मुम्मवारन
3. -शून्य-	39क. इन्हें छोड़कर दूसरे मुसलमान (1) बीरा (2) काचीमेमन (3) नवायत, (4) तरखान (5) दन्धिनी मुसलमान

राज्य : मध्य प्रदेश : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप-जातियों/समानार्थी) के नाम

क्र. सं.	पुरानी प्रविष्टि	नवीन प्रविष्टि
1. 31. माली, मरार	31. माली (सेनी), मरार	
2. 36. कुरमार/कुरामी/कुरमी/कुम्बी	36. कुरमार/कुरामी/कुरमी, कुनबी	
3. 46. तेली (राठौर)	46. तेली (राठौर, साहू)	

राज्य : महाराष्ट्र : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप-जातियों/समानार्थी) के नाम

क्र. सं.	पुरानी प्रविष्टि	नवीन प्रविष्टि
1.	—	216. पोवर, बोयार, पवार, बोयार नोट - प्रविष्टि सं. 216 में वे लोग शामिल नहीं किए गए हैं जिसके उप नाम पवार या पोवर है परन्तु इन समुदायों/जातियों से संबंध नहीं रखते।

राज्य : उड़ीसा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप-जातियों/समानार्थ) के नाम

क्र. सं.	पुरानी प्रविष्टि	नवीन प्रविष्टि
1.	43. गोला, गोला, गोपे, सदगोपे, ग्रहीर, गोड़, गोडा, गाउडो, बकेला, गोला, पुन्नू गोला, यादव	43. गोला, गोला, गोपे/गोप सद-गोपे/सदगोप, ग्रहीर, गोड़, गाउडा, गाउडी, मेकला, यादव, गोपाल, गोपाला, गोलखंडिया, भगधगोउडा
2.	48. हंसी, तंती, सूकली, बीना, तुलभिना	48. हंसी, तंती, सूकली, बीना, तुलभिना, रंगानी
3.	62. करहारा	62. करहारा/कचारा/कचरा
4.	160. सुनरी, सुन्दी	160. सुनरी, सुन्दी/सुन्धी
5.	162. तेली, तेल्ली, कुबारा, तालकर, साहू, बहल्लिया	162. तेली, तेल्ली, कुबारा, कुबेरा, तालकर, साहू/साहू, बहल्लिया
6.	165. थटारी	165. थटारी/कनसारी

राज्य : तमिलनाडु : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप-जातियों/समानार्थ) के नाम

क्र. सं.	पुरानी प्रविष्टि	नवीन प्रविष्टि
1.	-शून्य-	165क. वीराकोडी, वेलाला (पूर्व-वर्ती पनिलेवन केवल)

राज्य : त्रिपुरा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप-जातियों/समानार्थ) के नाम

क्र. सं.	पुरानी प्रविष्टि	नवीन प्रविष्टि
1.	3. बरुई	3. बरुई, बरुजीवी
2.	13. म्वाला, गोपे, यादव	13. म्वाला, गोपे, यादव, ग्रहीर
3.	24. नट	24. नट, नट्टा

राज्य : उत्तर प्रदेश : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप-जातियों/समानार्थ) के नाम

क्र. सं.	पुरानी प्रविष्टि	नवीन प्रविष्टि
1.	-शून्य-	55. धोबी (उनसे भलावा जो उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों की सूचियों में पहले ही शामिल हैं)
2.	-शून्य-	उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची के नीचे पाद टिप्पणी के रूप में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को जोड़ा जाए :— “स्पष्टीकरण :— उत्तर प्रदेश की उपर्युक्त सूची में उन्हें छोड़कर जिनकी धर्म के नाम के विशेष उल्लेख के साथ प्रविष्टि हुई है, इसका लिहाज किए बिना कि उनके सदस्य हिन्दू, इस्लाम, या कोई अन्य धर्म का अनुसरण करते हैं, परम्परागत वंशानुगत व्यवसायों से सभी जातियां शामिल हैं”।
3.	45. नडडफ (धुनिया)	45. नडडफ (धुनिया), संसूरी
4.	16. गडडी	16. गडडी, घोसी
5.	41. मुराओ या मुरई	41. मुराओ या मुरई, मीर्य
6.	3. कच्छी	3. कच्छी, काच्छी-कुछवाह, शाय
7.	39. माली	39. माली, सैनी
8.	-शून्य-	54. हलालखोर
9.	53. नाई	53. हज्जाम (नाई), नाई

राज्य : पश्चिम बंगाल : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप-जातियों/समानार्थ) के नाम

क्र. सं.	पुरानी प्रविष्टि	नवीन प्रविष्टि
1.	-शून्य-	1. मलाकर 2. जोलाह (अंसारी - मोमिम) 3. कनसारी 4. टांडी, तांतुवया 5. धानुक 6. शंखाकार

MINISTRY OF WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 9th March, 1996

S.O. No. 12011/96/94-BCC.—The Government of India, vide the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training) O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated the 8th September, 1993, have reserved 27 percent of vacancies in civil posts and services under the Central Government, to be filled through direct recruitment, in favour of the Other Backward Classes (OBCs). This O.M. also specifies that OBCs

for the purpose of the aforesaid reservation would comprise, in the first phase, the castes/communities which are common to both the lists in the Report of the Mandal Commission and the State Government's list of OBCs.

2. The common lists of OBCs in respect of 14 States, namely, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh, in the context of implementation of the aforesaid O.M., were notified in the Ministry of Welfare Resolution No. 12011|68|93-BCC(C) dated the 10th September, 1993 and published in the Gazette of India—Extraordinary—Part I, Section I No. 186, New Delhi, Monday September 13, 1993|Bhadra 22, 1915.

3. Subsequently, the common lists of OBCs in respect of 4 States and 3 Union Territories, namely, Orissa, Rajasthan, Tripura, West Bengal, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Pondicherry were notified in the Ministry of Welfare Resolution No. 12011|9|94-BCC dated the 19th October, 1994 and published in the Gazette of India Extraordinary—Part I Section I No. 163, New Delhi, Thursday October 20, 1994|Asvina 28, 1916.

4. Subsequently, the common lists of OBCs in respect of States of Jammu and Kashmir, Manipur and Sikkim and the NCT of Delhi were notified in the Ministry of Welfare's Resolution No. 12011|7|95-BCC dated the 24th May, 1995 and published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section I, No. 88, Thursday, May 25, 1995|Jyaishtha 4, 1917.

5. The National Commission for Backward Classes was set up under the provision of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 to entertain, examine and recommend upon the requests for inclusion and complaints of over-inclusion and under-inclusion in the Central Lists of Other Backward Classes. The advice tendered by the Commission shall ordinarily be binding upon the Central Government.

6. The National Commission for Backward Classes have recommended names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) for addition/inclusion/modification in the Central Lists of OBCs in respect of the following States :—

1. Andhra Pradesh
2. Kerala
3. Madhya Pradesh
4. Maharashtra
5. Orissa
6. Tamil Nadu
7. Tripura
8. Uttar Pradesh
9. West Bengal.

The Government have accepted the recommendations of the Commission and have decided to notify annexed additions/inclusions/modifications in the Central Lists of OBCs in respect of aforesaid States. These additions/inclusions/modifications shall take effect from the date of issue of this Resolution.

M. S. AHMAD, Jt. Secy.

ANNEXURE

Addition/Inclusion/Modification in the Central List of other Backward Classes (OBSCs) in respect of following States :—

1. Andhra Pradesh
2. Kerala
3. Madhya Pradesh
4. Maharashtra
5. Orissa
6. Tamil Nadu
7. Tripura
8. Uttar Pradesh
9. West Bengal

State : Andhra Pradesh : Central List of OBCs.

Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the Central List of OBCs.

Sl. No.	Old entry	New Entry
1. 6.	Dasari (formerly addicted to crimes & beggary).	6. Dasari (foremly engaged in Bhikshatana
2. 15.	Nayi-Brahmin.	15. Nayi-Brahmin (Mangali).
3. 26.	Kinthala Kalinga	26. Kinthala Kalinga, Buragana (Kalinga, Buragam Kalinga, Pandiri Kalinga.
4. 17.	Pitchiguntala	17. For Pitchiguntala read Vamsha Raj
5. 82.	Nelli	82. 'Neeli (Nelli)'
6. 74.	Kalavanthula, Ganika	74. Surya Balija (Kalavanthula), Ganika ("Note : The name within the brackets is inserted only to facilitate the identification of members intended to be covered and thereby to preclude the possibility of denial of caste certificate to the genuine members of this caste and to preclude the possibility of others securing false certificates. After verification, the certificate issuing authorities should mention only "Surya Balija" in the certificates, without any bracketed entry thereafter.")

State : Kerala : Central List of OBCs.

Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the Central List of OBCs.

Sl. No.	Old entry	New entry
1.	13. Dheevara (Araya, Arayavathi, Mukkuvan or Mukaya, Mogaveera).	12. Dheevara (Araya, Arayavathi, Mukkuvan or Mukaya, Mogaveera, Valan, Bovi Mukayar, Nulayan, Valinjijar, and Paniakkal).
2.	-Nil-	36A. Kumbanan
3.	-Nil-	39A. Other Muslims excluding (i) Bohra (ii) Cutchi Menmon (iii) Navayat (iv) Turukkan (v) Dakhani Muslim.

State : Madhya Pradesh : Central List of OBCs.

Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the Central List of OBCs.

Sl. No.	Old entry	New entry
1.	31. Mali, Marar.	31. Mali (Saini), Marar.
2.	36. Kurmar/Kurami/Kurmi, Kumbi.	36. Kurmar/Kurami/Kurmi, Kumbi.
3.	46. Teli (Rathore)	46. Teli (Rathore, Sahu).

State : Maharashtra : Central List of OBCs.

Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the Central List of OBCs.

Sl. No.	Old entry	New entry
1.	..	216. Powar, Bhojar Powar, Bhojar, Note: Entry No. 216 does not include persons having their surnames as Pawar or Powar but not belonging to these communities/caste.

State : Orissa : Central List of OBCs.

Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the Central List of OBCs.

Sl. No.	Old entry	New entry
1.	43. Gola, Golla, Gope, Sadgope, Whir, Gour, Gouda, Goudo, Mekala Golla, Punnu Golla, Yadav.	43. Gola, Golla, Gope/Gop, Sad Gope/Sad-Gop, Ahir, Gour, Gouda, Goudo Makala Golla, Pannu Golla, Yadav, Gopal/Gopala, Sholakhandia, Magadha Gouda.

2.	48. Hansi, Taanti, Sukuli, Vina, Tulabhina.	48. Hansi, Tanti, Sukuli, Vina, Tulabhina, Rangani.
3.	62. Karhara	62. Karhara/Kachara/Kachera.
4.	169. Sunri, Sundi.	160. Sunri, Sundi/Sundhi.
5.	162. Teli, Telli, Kubara, Talakar, Sahu, Bahaldia.	162. Teli, Telli, Kubara/Kubera, Talakar, Sahu, Sahoo, Bahaldia.
6.	165. Thatari.	165. Thatari/Kansari.

State : Tamil Nadu : Central List of OBCs.

Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the Central List of OBCs.

Sl. No.	Old entry	New entry
1.	-Nil-	165A. Virakodi VellaJa (former Panisaivan only).

State : Tripura : Central List of OBCs.

Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the Central list of OBCs.

Sl. No.	Old entry	New entry
1.	3. Barui	3. Barui, Baruijibi.
2.	13. Goala, Gope, Yadav	13. Goala, Gope, Yadav, Aheer.
3.	24. Nat.	24. Nat, Natta.

State : Uttar Pradesh : Central List of OBCs.

Names of castes/communities/including sub-castes/synonyms) in the Central list of OBCs.

Sl. No.	Old entry	New entry
1.	-Nil-	55. Dhobi (Other than those who are already included in the list of Scheduled Castes for U.P.)
2.	-Nil-	Add the following explanation as a foot-note below the Central list of OBCs for U.P. State :— “Explanation :—In the above list for U.P. all castes linked with traditional hereditary occupations, except those entered

1	2	3
		with specific mention of name of religion, are included, irrespective of whether their members follow Hindu, Islam or any other religion."
3. 45. (Naddaf (Dhunia)	45. Naddaf (Dhunnia), Mansoori.	
4. 16. Gaddi	16. Gaddi, Ghosi.	
5. 41. Murao or Murai	41. Murao or Murai, Maurya.	
6. 3. Kachhi	3. Kachhi, Kachhi-Kushwaha, Shākya.	
7. 39. Mali.	39. Mali, Saini.	
8. -Nil-	54. Halalkhor.	
9. 53. Nai.	53. Hajjam (Nai), Nai.	

State : West Bengal : Central List of OBCs.

Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the Central List of OBCs.

Sl. No.	Old entry	New entry
1.	-Nil-	(i) Malakar (ii) Jolah (Ansari Momin) (iii) Kansari (iv) Tanti, Tantubaya (v) Dhanuk (vi) Shankhakar